न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1033 सन 2020

अनवान :–

1. शेरसिह पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

2. जगतपाल पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर
3. दीपचन्द पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर ।
4. पुनमचन्द पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर।
5. मैनेजर आई.सी.आई.सी बैक शाखा नोहर ।
6. मैनेजर पंजाब नैशनल बैक शाखा साहवा तह. तारानगर ।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 01/05/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 177/92 के खसरा न0 13 की 0.1520हैक खसरा न0 136 की 6.7910हैक खसरा न0 153 की 0.1260हैक कुल 7.0690हैक भूमि स्थित थी।

वाद भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता पोकरराम वल्द भानीराम ने खसरा न0 23 की 32.03 बीधा रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर की भूमि दिनांक 17.03.1964 को जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा खातेदार मेघदास वल्द फुलदास जाति स्वामी निवासी पाण्डूसर तहसील नोहर से खरीद की गई थी तब से लेकर आज तक पूर्व में पोकरराम वल्द भानीराम व अब वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मौजा पाण्डुसर की उक्त वाद भूमि को पैमाईश के दौरान साबिका खसरा न0 23 की 32.03 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 13 ,136 ,153 में परिर्वतन किया जाकर पैमूद किया गया है।

सैटलमेन्ट के दौरान वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के हाल खसरा न0 13 की 0.[illegible] 6.7910हैक व खसरा न0 53 की 0.1260हैक कुल 7.0690[illegible] जबकि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पित[illegible] बीधा भूमि जरिये बै[illegible] खरीद की गई थी जो 8.13395हैक होती है अर्थात 1.06495[illegible] भूमि कम वादी व [illegible] प्रतिवादी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:23:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ता 4 के नाम कम दर्ज की गई है सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा कम दर्ज की गई भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हकों के प्रति शुन्य है।

वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा काश्त में खरीद के समय से ही कुल 8.13395हैक्‍ भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसकी सीव डोल अलग से कायम की हुई है पूर्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता के नाम खसरा न0 23 की 32.03 बीधा भूमि दर्ज थी जिसका वादी के पिता ने बेयनामा करवाया गया था सैटलमेन्ट विभाग को वादी के पिता पोकरराम की भूमि कम करने का कोई अधिकार नही था।

वाद भूमि खसरा न0 136 की 6.7910हैक्‍ के स्थान पर 7.85595 हैक्‍ दर्ज करवा पाने के अधिकारी है क्योकि की खसरा न0 136 की 7.85595हैक्‍ भूमि की कब्जा काश्त में है तथा नक्शा में भी भूमि कम दर्ज की गई जबकि मौके पर खसरा न0 136 की 7.85595हैक्‍ भूमि है जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा काश्त में भी मौके पर खसरा न0 136 की 7.85595हैक्‍ भूमि ही है किन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी/नक्शा में भूमि कम दर्ज की गई है।

अतः वादी का डिक्री किया जाकर रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 177/92 के खसरा न0 13 की 0.1520हैक्‍, खसरा न0 136 की 7.85595हैक्‍ खसरा न0 153 की 0.1260हैक्‍ कुल 8.13395हैक्‍ भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश जारी किये जाकर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी अपने वाद को साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वय साबित करे एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 1 का जबाब एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का ईकबाल दावा शामिल मिसल किया गया जबाब दावा में वाद का प्रतिरोध नही करने के कारण तनकी की आवश्यकता नही होने के कारण तनकी कायम नही की गई तत्पश्चात वादी से साक्ष्य लिये गये वादी ने साक्ष्य में मुख्य परीक्ष का शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जिरह नही की गई तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 1 ने किसी प्रकार का साक्ष्य पेश किया जिसके काराण साक्ष्य बन्द किये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:23:55 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 177/92 के खसरा न0 13 की 0.1520हैक्‍ खसरा न0 136 की [illegible]7910हैक्‍ खसरा न0 153 की 0.1260हैक्‍ कुल 7.0690हैक्‍ भूमि स्थित थी।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता पोकरराम वल्द भानीराम ने खसरा न0 23 की 32.03 बीधा रोही मौजा पाण्डुसर तहसील नोहर की भूमि दिनांक 17.03.1964 को जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा खातेदार मेघदास वल्द फुलदास जाति स्वामी निवासी पाण्डूसर तहसील नोहर से खरीद की गई थी तब से लेकर आज तक पूर्व में पोकरराम वल्द भानीराम व अब वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मौजा पाण्डुसर की उक्त वाद भूमि को पैमाईश के दौरान साबिका खसरा न0 23 की 32.03 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 13 ,136 ,153 में परिर्वतन किया जाकर पैमूद किया गया है।

सैटलमेन्ट के दौरान वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के हाल खसरा न0 13 की 0.1520हैक खसरा न0 136 की 6.7910हैक व खसरा न0 53 की 0.1260हैक कुल 7.0690हैक भूमि में पैमुद किया गया है जबकि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता पोकरराम ने 32.03 बीधा भूमि जरिये बैयनामा खरीद की गई थी जो 8.13395हैक होती है अर्थात 1.06495हैक भूमि कम वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम कम दर्ज की गई है सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा कम दर्ज की गई भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हकों के प्रति शुन्य है।

वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा काश्त में खरीद के समय से ही कुल 8.13395हैक भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसकी सीव डोल अलग से कायम की हुई है पूर्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता के नाम खसरा न0 23 की 32.03 बीधा भूमि दर्ज थी जिसका वादी के पिता ने बेयनामा करवाया गया था सैटलमेन्ट विभाग को वादी के पिता पोकरराम की भूमि कम करने का कोई अधिकार नही था।

वाद भूमि खसरा न0 136 की 6.7910हैक के स्थान पर 7.85595 हैक दर्ज करवा पाने के अधिकारी है क्योकि की खसरा न0 136 की 7.85595हैक भूमि की कब्जा काश्त में है तथा नक्शा में भी भूमि कम दर्ज की गई जबकि मौके पर खसरा न0 136 की 7.85595हैक भूमि है जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा काश्त में भी मौके पर खसरा न0 136 की 7.85595हैक भूमि ही है किन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी/नक्शा में भूमि कम दर्ज की गई है वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पूर्वज पोकरराम के द्वारा खरीद की गई भूमि को नक्शा एव जमाबन्दी में पूर्ण दर्ज करने के आदेश फरमावे। अर्थात खसरा न0 136 की 7.85595हैक के स्थान पर 8.13395हैक दर्ज करने के आदेश फरमावें। वादी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायचिक दृष्टान्त आरबीजे 2022 पेज 389 पेश किया

प्रतिवादी संख्या 1 की और से सरकार राज ने निवेदन किया की वादी अपने वाद को साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वयं साबित करे एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:23:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2009 से 2012 एवं जमाबन्दी समवत 2013 से 2016 रोही मौजा पाण्डुसर के खसरा न0 23 की कुल 32.03 बीधा भूमि मेधराज पुत्र फुसदास जाति स्वामी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी

मेधदास पुत्र फुलदास ने रोही मौजा पाण्डुसर के खसरा न0 23 की 32.03 बीधा भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 17.03.1964 को पोकरराम वल्द भीनराम जो वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता है बेचान कर दी गई थी और कब्जा मौके पर सम्भलवा दिया गया था।

बेयनामा दिनांक 17.03.1964 के आधार पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता रोही मौजा पाण्डुसर के खसरा न0 23 की 32.03 बीधा भूमि के खरिददार खातेदार काश्तकार हो गये थे।

भू0 प्रबन्ध विभाग के द्वारा सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान रोही मौजा पाण्डुसर के खसरा न0 23 की 32.03 बीधा को हाल खसरा न0 13 की 12 बिश्वा , खसरा न0 136 की 26.17 बिश्वा , खसरा न0 153 की 10 बिश्वा में में पैमुद किया गया जो मिलान क्षेत्रफल से पूर्णत्या साबित है।

उल्लेखनिय है कि रोही मौजा पाण्डुसर के साबिका खसरा न0 23 बडा खसरा था जिसके खसरा न0 13 ,135 ,136 ,137 ,153 ,154 बनाये गये थे जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से पूर्णत्या स्पष्ट है।

मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा न0 23 मी 10 बिश्वा से हाल खसरा न0 13 की 10 बिश्वा , 135 की 12 बीधा 10 बिश्वा , खसरा न0 136 की 26 बीधा 17 बिश्वा खसरा न0 137 की 2 बीधा 4 बिश्वा , खसरा न0 153 की 10 बिश्वा , खसरा न0 154 की 16 बिश्वा में पैमुद किया गया है।

वादी का कथन है कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता पोकरराम वल्द भानीराम ने खातेदार मेधदाास वल्द फुलदास से जरिये बेयनामा दिनांक 17.03.1964 के 32.03 बीधा खरीद की गई थी जिस पर पोकरराम वल्द भानीराम काबिज चले आ रहे थे किन्तु सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा साबिका खसरा न0 23 की 32.03 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 में परिर्वतन करते समय मौके पर कब्जा काश्त के क्षेत्रफल के अनुसार भूमि दर्ज नही की जाकर क्षेत्रफल से कम भूमि दर्ज की गई है अर्थात वादी के पिता पोकरराम ने जरिये बेयनामा खसरा न0 23 की 32.03 बीधा भूमि खरीद की गई थी जिसके खसरा न0 13 ,136 ,153 नये खसरों में पैमुद किया गया था खसरा न0 13 का 12 बिश्वा , एवं खसरा न0 153 का 10 बिश्वा क्षेत्रफल मौका के अनुसार सही तौर से दर्ज किया गया है किन्तु खसरा न0 136 का क्षेत्रफल 26 बीधा 17 बिश्वा दर्ज किया गया जबकि मौक पर खसरा न0 136 का कुल 31 बीधा 1 बिश्वा का दर्ज किया जाना चाहिये था जो मौका के अनुसार सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा पैमाईश में वादी के पिता पोकरराम के द्वारा खरीद की गई 32.03 बीधा भूमि जो वादी के पिता के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:23:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लोहर

कब्जा काश्त में थी का क्षेत्रफल कम दर्ज किया गया है जिसे वादी मौका के अनुसार नक्शा /जमाबन्दी में पूर्ण दर्ज करवाकर जमाबन्दी संशोधन करवा पाने का अधिकारी है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार मेधदास वल्द फुलदास जाति स्वामी सम्वत 2009 से 2012 की जमाबन्दी एवं सम्वत 2013 से 2016 की जमाबन्दी में खसरा न0 23 की कुल 32.03 बीधा भूमि का खातेदार काश्तकार था जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों से पूर्णत्या साबित है मेधदास वल्द फुलदास ने अपनी खातेदारी भूमि उक्त खसरा न0 23 की 32.03 बीधा को वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता पोकरराम को जरिये बेयनामा दिनांक 17.03.1964 को बेचान की गई थी जो प्रस्तुत बेयनामा से पूर्णत्या स्पष्ट है।

भू0 प्रबन्ध विभाग ने सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान जमाबन्दी में दर्ज काश्तकार का विवरण में किसी प्रकार का परिर्वतन करने का अधिकार नही था केवल साबिका खसरा की भूमि को हाल खसरों में परिर्वतन किया जाना था किसी काश्तकार के खसरों की भूमि के क्षेत्रफल को कम या ज्यादा दर्ज नही किया जाना था।

वादी का कथन है भू.प्रबन्ध विभाग के द्वारा सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान साबिका खसरा से हाल खसरों में परिर्वतन करते समय हाल खसरा न0 13 की 12 बिश्वा एव खसरा न0 153 की 10 बिश्वा भूमि तो मौका के अनुसार सही तौर से दर्ज की गई है किन्तु खसरा न0 136 की भूमि जो 29.01 बीधा दर्ज करनी चाहिये थी को 26.17 बीधा दर्ज की गई है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से यह प्रतीत होता हे कि प्रार्थी के पिता पोकरराम वल्द भानीराम के द्वारा खरीद की गई 32.03 बीधा भूमि जिसका नया क्षेत्रफल 8.13395 होता है जो सेटलमेन्ट कार्यवाही से पूर्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान पोकरराम के खाते में 27.19 बीधा जिसका नया क्षेत्रफल 7.0690 बीधा भूमि ही अंकित की गई है अर्थात पोकरराम के खाते में कम भूमि दर्ज की गई है सैटलमेन्ट विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान यह त्रुटि की गई है वादी के पिता पोकरराम द्वारा धारित पूर्व रकबे को कम करके अंकित करने का उन्हे कोइ अधिकार नही था हालांकि यह पूर्णत्या स्पष्ट नही है राजस्व अभिलेख में इस प्रकार का त्रुटिया संशोधन योग्य है या ध्यान में लाये जाने पर जांच की जाकर इस प्रकार की त्रुटियों को संशोधन किया जा सकता है वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दुष्टान्त न्यायचिक दृष्टान्त आरबीजे 2022 पेज 389 में भी उक्तानुसार कार्यवाही का उल्लेख किया गया है अर्थात वादी के द्वारा प्रस्तुत दुष्टान्त प्रकरण पर पूर्णत्या चस्पा होते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दीयों/गिरदावरीयों /बेयनामा से यह साबित हो चुका है कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता पोकरराम वल्द भानीराम ने मेधदास वल्द फुलदास से रोही मौजा पाएडूसर के साबिका खसरा न0 23 की 32.03 बीधा भूमि जरिये बेयनामा खरीद की थी। इस पर पूर्व में वादी के पिता पोकरराम वल्द भानीराम एवं वर्तमान में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 सयुक्त तौर से काबिज है सैटलमेन्ट विभाग के द्वारा भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान वादी के कब्जा काश्त की भूमि को पुराने खसरो स नये खसरों में परिर्वतन किया गया था वादी के कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:23:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काश्त की भूमि के खसरा परिर्वतन का सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु हाल खसरा न0 136 की भूमि 31.01 बीधा के स्थान पर 27.19 बीधा दर्ज किया गया था जिसका सेटलमेन्ट विभाग को अधिकार नही था वादी के पिता पोकरराम 32.03 बीधा भूमि पर काबिज था तो नये खसरों में परिर्वतन कर 32.03 बीधा भूमि का ही दर्ज की जानी चाहिये थी किन्तु सहवन से कम दर्ज की गई है जिसे वादी संशोधन करवा पाने का अधिकारी है।

वादी का वाद साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 177/92 के खसरा न0 13 की 0.1520हैक खसरा न0 136 की 7.85595हैक एव खसरा न0 153 की 0.1260हक कुल 8.13395हैक भूमि का वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब कब्जा काश्त के अनुसार खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तदानुसार उक्त भूमि का नक्शा तरमीम/संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी /नक्शा संशोधन की जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो रहन यथावत रहेगा व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/05/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:23:55 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. शेरसिह पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

व

ादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

2. जगतपाल पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर
3. दीपचन्द पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर ।
4. पुनमचन्द पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर।
5. मैनेजर आई.सी.आई.सी बैक शाखा नोहर ।
6. मैनेजर पंजाब नैशनल बैक शाखा साहवा तह. तारानगर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1033 सन 2020 निर्णय दिनांक– 01/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि_रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 177/92 के खसरा न0 13 की 0.1520हैक खसरा न0 136 की 7.85595हैक एव खसरा न0 153 की 0.1260हक कुल 8.13395हैक भूमि का वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब कब्जा काश्त के अनुसार खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तदानुसार उक्त भूमि का नक्शा तरमीम/संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी /नक्शा संशोधन की जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो रहन यथावत रहेगा व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/05/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:23:55 IST
Reason: SelfAttested